

## प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

झारखण्ड सरकार (झा.स.) के वित्त पर प्रस्तुत इस प्रतिवेदन का प्रयोजन 2018-19 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने और राज्य विधानसभा को वित्तीय आँकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित जानकारी प्रदान करना है। यह प्रतिवेदन झारखण्ड राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, चौदहवें वित्त आयोग (14<sup>वें</sup> वि.आ.) प्रतिवेदन तथा वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों के विरुद्ध वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करने का प्रयास है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

**अध्याय-1** वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2019 को झारखण्ड सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ऋणों के पुनर्भुगतान पर व्यय और लिये गये उधार के स्वरूप की प्रवृत्तियों की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

**अध्याय-2** विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों एवं रीति, जिसके अनुसार आवंटित संसाधनों का सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधन किया गया, का अनुदानवार व्याख्या प्रस्तुत करता है।

**अध्याय-3** विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमावलियों के झारखण्ड सरकार के अनुपालन की सूची है।

विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेनदेन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निकायों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं राजस्व प्राप्तियों से संबन्धित अवलोकनों पर आधारित प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित किया गया है।

